Serial No. 30018

Book No. :- 1 Deed No. 24703

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

Serial No. 30018 Deed No. 24703

Govt. of Bihar
District Registry Office, Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 08/09/2012 by Surendra Kumar
A Stamp Duty of Rs. 59100/- and other Fees of Rs. 904/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 24703 in Book No. 1, Volume No. 469 on pages from 380 to 396 and has been preserved in total 17 pages in C.D. No. 73 / Year 2012.

SCANNED

Date: 08/09/2012 Token No: 30789 / 2012

Signature with Date
(Ashok Kumar Thakur)
Registering Officer, Patna

विकास एकरारनामा (डेमलपमेन्ट एग्रीमेन्ट)

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक सितम्बर 2012, ई० को बहुमंजीला भवन / एपार्टमेन्ट के विकास / निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ निम्न पक्ष के बीच तैयार किया गया।

1.श्री सुरेन्द्र कुमार,
2.श्री रविन्द्र कुमार
3.श्री सुरेश प्रसाद
} वल्दान स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद

4.श्री भगवान प्रसाद
5.श्री परमानन्द प्रसाद
6.श्री ~~नन्दकिशोर प्रसाद सिंह~~
7.श्री विनय कुमार
} वल्दान स्वर्गीय यमुना प्रसाद

सभी निवासी महल्ला– दक्षिणी मंदिरी, महावीर स्थान (काठपुल), पोस्ट– जी0 पी0 ओ0, थाना– बुद्धा कॉलोनी, जिला– पटना, जो इस आपस की मनोबंध पत्र के भु–स्वामी एवं अपने – अपने परिवार के कर्त्ता और मुखिया हैं / प्रथम पक्ष के रूप में जाने जाएगें एवं उनके साथ उनके तमाम वारसान, कानूनी सलाहकार उपभोगकर्त्ता, उनके पक्ष में हस्ताक्षरकर्त्ता इत्यादि भी संयुक्त रूप से इस मनोबंध पत्र के द्वारा बंधित समझे जाऐगें।

एवं

हॉक बिल्टेक प्रा0 लि0 (HAWK BUILDTECH PVT. LTD.) एक निर्माणकर्त्ता एवं विकासक संस्थान है जिसका पता सौम्य रेसिडेन्सी ग्राउण्ड फ्लोर हारून नगर सेक्टर–1, फुलवारीशरीफ, पटना है। जिसके डाईरेक्टर मो0 अमीम आलम, पिता मोहम्मद जावेद आलम, निवासी इखलाकी लॉज, मोहर्रमपुर बाकरगंज, थाना– पीरबहोर, जिला– पटना, जो इस संस्थान की ओर से एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए संस्थान से अधिकृत हैं जो आपसी मनोबंध पत्र के विकासकर्त्ता ~~(डेवलपर)~~ / द्वित्तीय पक्ष के रूप में जाने जाएगें एवं उनके साथ उनके तमाम वारसान कानूनी सलाहकार लिगल रिप्रेजेन्टेटीभ, ऐसाईनी, उपभोगकर्त्ता उनके पक्ष में हस्ताक्षरकर्त्ता

इत्यादि भी संयुक्त रूप से इस मनोबंध पत्र के द्वारा बंधीत समझे जाएगें।

यह कि लेख्य सम्पत्ति अन्दर प्लौट नं0–898 में मवाजी 05 डिसमील जिसमें पॉच सौ वर्गफीट में बना करकटपोश मकान जो पूर्ण रूपेण इस विलेख के प्रथम अनुसूची में वर्णित है वह भू–स्वामी/प्रथम पक्ष का नीजी मौरूसी सम्पत्ति है जो हरिचरण महतो का था जो प्रथम पक्ष 1 ता 7 उनके वारिश हैं सरकारी रिकॉर्ड में हरिचरण महतो का नाम दर्ज है जिसपर हरिचरण महतो आजीवन काविज दखिल मोलिक मुस्तकिल रहते चले आये हैं जो अपने पीछे दो पुत्र नामतः रामेश्वर प्रसाद एवं यमुना प्रसाद को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बाद में उनके पुत्र रामेश्वर प्रसाद अपने पीछे तीन पुत्रगण भूस्वामी संख्या–1 ता 3 एवं यमुना प्रसाद भी अपने पीछे चार पुत्रगण भूस्वामी संख्या– 4 ता 7 को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। इसतरह भूस्वामी प्रथम पक्ष संख्या–1 ता 7 अनुसूची–1 के मालिक मुस्तकिल चले आते है तथा सम्पति से संबंधित मालगुजारी रसीद भूखण्ड स्वामी संख्या–1 ता 7 कें नाम से कटता चला आ रहा है जिसका जमाबंदी नं0– 2532 है। इसतरह नीचे वर्णित सम्पति पर भूस्वामी 1 ता 7 का कुल हक, अधिकार एवं दखल कब्जा चला आ रहा है जो कि हर तरह से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष अपने अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति पर विकास कार्य वास्ते बहुमंजिला एपार्टमेन्ट का निर्माण कराने के उद्देश्य से द्वितीय पक्ष जो एक डेवलपर / विकासक एवं निर्माणकर्त्ता संस्था है से सम्पर्क स्थापित किया एवं दोनों पक्षकारों के बीच विकास कार्य करने के लिए एवं आवासीय सह व्यवसायिक बहुमंजीला एपार्टमेन्ट सह कार पार्किंग का निर्माण करने एवं करवाने के लिए दोनों पक्ष स्वेच्छापूर्वक अपनी–अपनी सहमती प्रकट किया। तदुपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ दोनों पक्ष आपस में सहमत हुए।

अतः इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच निम्नलिखित शर्त्तों के साथ आपसी सहमति स्थापित हुआ।

1. यह कि प्रथम पक्ष भूमि स्वामी निम्नलिखित अनूसूची के सम्पत्ति को विकास कार्य हेतु एवं बहुमंजीला भवन/एपार्टमेन्ट निर्माण के लिए द्वितीय पक्ष को पूर्णरूपेण स्वतत्व उन्मूलन एवं खाली रूप में प्रदान करेंगे।

2. यह कि दोनों पक्षों के बीच पूर्णरूपेण निर्मित बहुमजीला एपार्टमेन्ट में 50 प्रतिशत–50 प्रतिशत हिस्सा वर्णित समय पर काम करने के लिए आपसी सहमती बनी है, अर्थात पूर्ण रूपेण से निर्मित बहुमंजीला भवन एपार्टमेन्ट में आवासीय फ्लैट, व्यवसायिक दुकान/ऑफिस एंव कार पार्किंग का 50 प्रतिशत हिस्सा भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष का एवं 50 प्रतिशत विकासक/बिल्डर्स/ डेवलपर द्वितीय पक्ष का होगा।

3. यह कि दोनों पक्षों के बीच तय पाया गया कि अनुसूची–1 में वर्णित भूमि पर आवासीय सह व्यवसायिक बहुमजिला भवन एपार्टमेन्ट का निर्माण किया जाए एवं एपार्टमेन्ट का नाम "हरिचरण कम्पलेक्स" रखा जाए।

4. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण हेतु संरचना का नक्शा वास्तुविद से स्वयं करायेंगे एवं इसमें होने वाले सारे कार्य का पूरा खर्च वहन स्वयं करेंगे साथ ही नक्शा को पटना नगर निगम एवं अन्य सक्षम प्राधिकारों और एयर पोर्ट ऑफ इंडिया ऑथोरिटी के द्वारा स्वीकृति लेने में जो भी खर्च आयेगा उसे भी द्वितीय पक्ष स्वयं ही वहन करेंगे एवं नक्शा पास कराने में प्रथम पक्ष के द्वारा सभी कागजात उपलब्ध कराई जाएगी। विदित हो कि किसी वजह से नक्सा पास नहीं होता है तो उसमें आने वाले खर्च को द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से खर्च का दावा नहीं करेंगे।

5. यह कि द्वितीय पक्ष पटना नगर निगम/सक्षम प्राधिकार एवं एयर पोर्ट ऑफ इंडिया ऑथोरिटी द्वारा स्वीकृत नक्शे में किसी प्रकार

विचलन नहीं करेंगे। अगर द्वितीय पक्ष भवन/एपार्टमेंट बनाने में किसी प्रकार का विचलन करेंगे जिसके कारण किसी प्रकार का कानूनी व्यवधान उत्पन्न होगा तो उसकी पुरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष पर होगी।

6. यह कि द्वितीय पक्ष वास्तुविद से प्रस्तावित नक्शा एवं पटना नगर निगम/सक्षम प्राधिकार एवं एयर पोर्ट ऑफ इंडिया ऑथोरिटी से स्वीकृत नक्शे पर इस एग्रीमेन्ट के दिन से 36 माह के अन्दर नक्शे के अनुरूप भवन/एपार्टमेन्ट का कार्य पूर्ण कर लेंगे।

7. यह कि द्वितीय पक्ष एग्रीमेन्ट पेपर पर प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर के दिन से 36 माह के अन्दर निर्माण कार्य आवश्य पुरा करेंगे एवं हस्ताक्षर की तिथि से कार्य आरम्भ माना जाएगा।

8. यह कि किसी अप्रत्यासित कारण या प्राकृतिक विपदा, हड़ताल, बाढ़ इत्यादि के कारण भवन निर्माण का कार्य 36 माह में पुरा नहीं हो सका तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त छः माह का समय भवन निर्माण का कार्य समय पर पुरा करने के लिए दिया जाएगा।

9. यह कि पक्षकारों के बीच यह निर्णय हुआ कि प्रथम पक्ष को उपरोक्त बहुमंजीला भवन/एपार्टमेन्ट का 50 प्रतिशत हिस्सा होगा एवं द्वितीय पक्ष का भवन एपार्टमेन्ट में 50 प्रतिशत हिस्सा होगा जो सभी तथ्यों के साथ-साथ कॉमन जगहों पर भी लागू होगा।

10. यह कि भू-खण्ड पर बेसमेंट जी प्लस सेवन व्यवसायिक बहुमंजिला इमारत का निर्माण होगा या आवासीय होगा जिसमें प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता का हिस्सा 50 प्रतिशत-50 प्रतिशत होगा।

11. यह कि दोनों पक्ष उक्त एपार्टमेन्ट के पूर्ण रूप से बनने के बाद और दोनों पक्षों के अपने अपने हिस्से में आने के बाद उपरोक्त भवन में अपने-अपने मिले हुए हिस्से पर पूर्ण स्वामित्व होगा, दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से में मिले फ्लैट की बिक्री कर सकते हैं अथवा

किराया लगा सकते हैं अथवा स्वंय रख सकते हैं, इसमें किसी पक्ष को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष को निर्माण संबंधी कार्य के समय या किसी भी ग्राहक को ऋण लेने के समय वित्तीय संस्था या बैंक को अनापत्ति पत्र चाहिए उस समय प्रथम पक्ष विकासकर्ता को मुहैया करेंगे जो भी रकम कर्ज के माध्यम से प्राप्त होगा रकम की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष ही लेंगे एवं किसी कारणवश उस कर्ज को उगाही नहीं हो पायी तो उस स्थिति में विकासकर्ता के चल–अचल सम्पत्ति से बसूल किया जाएगा। बाजे हो कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के अनुसूची–1 वाली सम्पति को न मौर्गेज करेंगे और इस सम्पति पर किसी प्रकार का लोन नहीं लेंगे और न किसी को लोन दिलवायेंगे।

13. यह कि द्वितीय पक्ष ने आश्वस्त किया कि भवन निर्माण नक्शा पटना नगर निगम या सक्षम प्राधिकार एवं एयर पोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया से स्वीकृत होगा उसी के अनुरूप ही कार्य एवं अपने अपने हिस्से का विभाजन पटना नगर निगम या सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत निर्माण एरिया पर ही होगा और कॉमन एरिया में दोनों पक्ष सामिल होंगे।

14. यह कि प्रथम पक्ष ने यह आश्वासन दिया कि अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति पूर्णतः स्वत्वदोष, ऋणभार, इत्यादि से पूर्णतः मुक्त है एवं सभी प्रकार से पूर्णतः पाक साफ है एवं अनुसूची के भूमी पर किसी का भी किसी प्रकार का दावा अथवा दखल नहीं है एवं भू–स्वामी प्रथम पक्ष अकेले अथवा संयुक्त रूप से किसी प्रकार का कोई केवाला किसी अन्य पक्षकारों के पक्ष में नहीं किया है एवं अनुसूची के सम्पत्ति पर किसी अन्य का किसी प्रकार का कोई हक अथवा दावा नहीं है एवं भविष्य में अगर अनुसूची के सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान अथवा रूकावट अथवा अड़चन पैदा हो जाए तो प्रथम पक्ष अपने खर्चे से इसका समाधान करेंगे एवं इस

8-9-2012

8-9-2012

08/09/12

कारण से भवन निर्माण में जो देरी होगी उतना समय और बढ़ा दिया जाएगा।

15. यह कि द्वितीय पक्ष समय सीमा के अन्दर भवन/एपार्टमेन्ट का निर्माण कर प्रथम पक्ष को उनके हिस्से का फ्लैट सौंप देंगे अगर समय के अन्दर भवन/एपार्टमेन्ट का निर्माण करके फ्लैट जमीन मालिक को नहीं सौंपते हैं तो उस स्थिति में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को प्रति ~~माह हरजाना 10,000/- (दस हजार रूपया)~~ की दर से जमीन मालिक प्रथम पक्ष को देंगे जब तक एपार्टमेन्ट कम्पलिट कर प्रथम पक्ष को उनका हिस्सा नहीं दे दिया जाता है।

16. यह कि इस एग्रीमेन्ट के बाद विकासकर्त्ता अपना बोर्ड लगा सकता हैं, ऑफिस रख सकते हैं, गोदाम बना सकते हैं।

17. यह कि सर्वे मैप के अनुसार जो जमीन प्राप्त होगा उसी जमीन पर भवन निर्माण होगा।

18. यह कि द्वितीय पक्ष भवन निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित कार्यालयों में किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए अगर जरूरत हुआ तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को अपना मोख्तारनामा देंगे।

19. यह कि उक्त निर्मित बहुमंजिला इमारत में प्रथम पक्ष का हिस्सा इस प्रकार है –

आवासीय फ्लैट या व्यवसायिक फ्लैट एवं पार्किंग स्थल में प्रथम पक्ष संख्या–1 ता 7 का हिस्सा 50 प्रतिशत मिलेगा।

20. यह कि उक्त निर्मित बहुमंजिला इमारत में विकासकर्त्ता/डेवलपर्स/द्वितीय पक्ष का हिस्सा इस प्रकार है–

आवासीय फ्लैट या व्यवसायिक फ्लैट में हिस्सा 50 प्रतिशत एवं कार पार्किंग स्थल में हिस्सा 50 प्रतिशत मिलेगा।

21. अगर उक्त बहुमंजिला इमारत के उपर किसी तरह का अतिरिक्त निर्माण करने की आवश्कता होती है तो वैसी स्थिति में भूखण्ड स्वामी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा और दोनों पक्षों का हिस्सा 50 प्रतिशत– 50 प्रतिशत के अनुपात में रहेगा।

22. यह कि विकासकर्त्ता नीचे वर्णित सम्पति के अतिरिक्त और भी भूखण्ड किसी दिगर भूस्वामी से विकास करने हेतु लेते है तो वैसे सुरत में द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष से अनुमति लेनी होगी। अगर द्वितीय पक्ष किसी तरह का एग्रीमेन्ट किसी दुसरे भूस्वामी से करते है तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष 1 ता 7 से एक एग्रीमेन्ट करेंगे जिसमें सभी शर्त होगी तभी प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को जमीन से आने जाने का आदेश देंगे अथवा नहीं।

23. निर्माण कार्य के दौरान फिनिसिंग निम्न प्रकार से होगा :–

1). उच्च कोटि का भवन निर्माण उच्च कोटि के सामग्री सहित।

2). पूर्ण प्रोजेक्ट आरंभ से अंतिम (फिनिसिंग) तक उच्च कोटि के आर्किटेक्ट (भवन निर्माण) इंजीनियर के देख–रेख में होगा।

3). सुपरवाईजर के उपस्थिति में निर्माण कार्य का संपादन तथा कोई कार्य बिना पर्याप्त सुपरवाईजर के नहीं किया जाएगा।

4). सभी निर्माण कार्य पूर्ण रूप से प्रशिक्षित या अनुभवी कारीगरों जैसे इलेक्ट्रीशन, बढ़ई, निर्माण ठेकेदार द्वारा किया हुआ।

5). सभी भीतरी एवं बाहरी दिवाल पुट्टी एवं पेन्ट युक्त होगा और पेन्ट एशियन का एपेक्स होगा।

6). सभी सतह (फ्लोर) व्हाईट मार्बल अच्छे क्वाईलिटी से निर्माण होगा।

7). बाथरूम एवं रसोईघर आधुनिक तौर पर निर्माण ग्रेनाईट काउन्टर उच्च कोटी के सामग्री से निर्मित एवं बाथरूम में 7 फीट दीवाल में मार्बल एवं रसोई घर में 24 ईंच मार्बल दिवाल में लगेगा, सिंक स्टील का पैन एवं बाल बेसीन चिनी मिट्टी का (पैरीवेयर) पाईप–सी0 पी0 वी0 सी0 का, नल वगैरह (इस्को) का एवं डाईनिंग रूप में एक वाश बेसीन होगा।

8). उच्च कोटी का सामग्री से बाथरूम एवं रसोईघर को व्यवस्थित सुविधा।

9). पी0भी0सी0 पाईप एवं वायरिंग सहित स्टैन्र्ड क्वालिटी का फिटिंग आई0 एस0 आई0 वोर्ड के साथ।

10). प्रत्येक फलैट के भितर प्रत्येक रूप में पावर प्वाईंट का व्यवस्था।

11). प्रत्येक फ्लैट में बिजली आपूर्ति अलग–अलग निजी मीटर साहित की व्यवस्था।

12). प्रयाप्त के0भी0ए0 एवं बिजली की अनापूर्ति पर कॉमन एरिया में 24 घंटे जेनेरेटर सहित की व्यवस्था।

13). सभी फ्लैट में इर्न्मटर प्वाइंट की व्यवस्था।

14). प्रत्येक फ्लैट एवं गार्ड रूम में इन्टरकॉम और टेलीफोन प्वाईंट सहित व्यवस्था।

15). मार्बल सतह की सीढ़ीयॉ तथा लॉबी रौशनी सहित की व्यवस्था।

16). आठ यात्री एलिवेटर (लिफ्ट) सहित कि व्यवस्था, भवन के कोर्ड के अनुसार।

17). सभी फ्लैट के रेहाईशी एवं मास्टर बेडरूम में केबल वाईरिंग सहित की व्यवस्था।

18). सभी लकड़ी की खिड़की एवं दरवाजे मच्छर जाली सहित, चौखट और पल्ला फलस डोर का होगा। डोरलिकिंग गलास के साथ खिड़की का शिशा डार्क कलर का होगा एवं पेन्ट करके देना होगा।

19). रसोईघर एवं स्नानघर में पर्याप्त रौशनीदान एवं हवादार और एक्झौस्टफैन का प्वाइंट सहित व्यवस्था।

20). प्रत्येक फ्लैट के लिए प्रयाप्त कार पार्किंग सुविधा।

21). प्रत्येक फ्लैट क दरवाजे पर घंटी की सुविधा।

22). समर सेबुल पम्प बहुमजिली इमारत निर्माण के अनुपात दो होगा।

23). एपार्टमेन्ट में बिजली सप्लाई के लिए बिहार स्टेट विद्युत बोर्ड के नियम के अनुसार ट्रान्स्फर्मर सहित सुविधा।

24. यह कि दोनी पक्ष इस एकरारनामा को पढ़ वो पुरी तरह समझकर अपना–अपनी हस्ताक्षर एवं अंगेठे का निशान गवाहों के समक्ष बना दिया।

अनुसूची–1

विदित हो कि यह आवासीय भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 05 डिसमील (पॉच डिसमील) जिसमें पॉच सौ वर्गफीट में निर्मित करकटपोश मकान, अवस्थित मौजा सैदपुरा, टोला– बोचाचक, परगना– फुलवारी, सर्वे थाना दानापुर, जिला–पटना सब रजिस्ट्री ऑफिस–दानापुर, सदर रजिस्ट्री ऑफिस–पटना सदर, अन्दर तौजी नं0–5312, सर्वे थाना नं0–51 (एकावन), खाता नं0–165 (एक सौ पैसठ) कैडस्ट्रल सर्वे प्लॉट नं0–898 एवं 899 (आठ सौ अंठानवे एवं आठ सौ निनानवे) का

अंश सम्पति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) एवं नगर परिषद दानापुर (निजामत) के अन्दर है एवं जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित अंकित है।

चौहद्दी

उत्तर – मुख्य सड़क

दक्षिण– चरित्र राय एवं स्व0 जगदीश महतो

पूरब – नीज भूखण्ड स्वामी प्लौट नं0–897

पश्चिम– पार्ट प्लौट नं0–898

जमीन का मूल्यांकन – 22,50,000 /–

निर्मित करकटपोश का मूल्यांकन– 7,00,000 /–

कुल 29,50,000 /–

मूल्यांकन थाना कोड नं0–173,

गवाहान –

1. Sachin Kumar
S/o Shiv Shankar Pd.
South Mandiri
P.O – G.P.O, Patna
P.S – Buddha Coloney
08/09/2012

2. राजकुमार मेहता
8-9-2012

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

8-9-2012

8-9-2012

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

टंकणकर्त्ता–
राम प्रवेश केशरी
समाहरणालय,पटना।

प्रारूपकर्त्ता–
08/9/12

ANIL KUMAR
ADVOCATE
Registration No.-1039/83
G. B. A. PATNA

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	**Rs. 59100/-**	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	**Rs.** 5000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	**Rs. 0/-**	Amt.paid through Bank Challan	**Rs.** 55004/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	150	K1c	0	Mb	25
A10	0	E	250	J1	0	K2	0	Na	54
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	479

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge

425

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 904

Date: 08/09/2012

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Saturday, 08th September 2012 by Surendra Kumar S/O-Late Rameshwar Prasad by profession Others. Status - Executant

सुरेन्द्र कुमार 8-9-12

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:08/09/2012

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Sachin Kumar' age '27' Sex 'M', 'S/O-Shivshankar Prasad', resident of '26, Boring Canal Road, Patna-800001'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 08/09/2012

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 469 on pages on 380 -396 , for the year 2012 and stored in CD volume No. CD-75 Year 2012 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 08/09/2012

Registering Officer
Patna

Token No. : 30789 **Year : 2012** **S.No. :** 30018 **SCORE Ver.3.0** **Deed No . :** 24703